जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय,
ग्राम मदाऊ, पोस्ट भांकरोटा, जयपुर-302026

प.( ) 61वीं कार्यपरिषद/2018/16539 दिनांक 31/03/2018

कार्यपरिषद् की 61वीं बैठक दिनांक 30.03.2018 का कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 61वीं बैठक का आयोजन दिनांक **30.03.2018** को प्रातः 11.00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन स्थित सभाकक्ष में माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1. प्रो.आर.के. कोठारी, माननीय कुलपति महोदय – **अध्यक्ष**
2. श्री मोहन लाल गुप्ता, माननीय विधायक, विधानसभा क्षेत्र किशनपोल, जयपुर।
3. डॉ. प्रेम चन्द बैरवा, माननीय विधायक, विधानसभा क्षेत्र दूदू, जिला–जयपुर।
4. डॉ. नाथू लाल सुमन, सदस्य कार्यपरिषद्–संस्कृत भारती, एच–11, सरस्वती नगर, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर।
5. प्रो. लालचन्द शर्मा, दर्शन संकायाध्यक्ष, राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, जयपुर।
6. डॉ. हजारी लाल बैरवा, प्राचार्य, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, तीतरिया, तह.चाकसू, जिला–जयपुर।
7. डॉ ललिता शर्मा, कुलसचिव एवं सदस्य–सचिव

सर्वप्रथम कुलसचिव द्वारा माननीय कुलपति महोदय एवं समस्त माननीय सदस्यो के स्वागत के पश्चात् कार्यपरिषद् की 61वीं बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

बिन्दु संख्या	बिन्दु	निर्णय
61–1	कार्यपरिषद् की 59वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	कार्यपरिषद् की 59वीं बैठक दिनांक 01.12.2017 के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
61–2	**लेखा शाखा से जारी यू.ओ.नोट. क्रमांक 16058 दिनांक 26.03.2018 :** वित्त समिति की बैठक दिनांक 23.03.2018 का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु।	वित्त समिति की बैठक दिनांक 23.03.2018 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत् वित्तीय वर्ष 2016–17 के वार्षिक लेखों एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये बजट का अनुमोदन किया गया। साथ ही कार्यपरिषद् ने विचार विमर्श कर संस्कृत के लिये ई–लाईब्रेरी (e-Library) हेतु वर्ष 2018–19 में राशि रूपये 11.00 लाख का प्रावधान नवीन मद में विकास फंड से व्यय करने के लिये सैद्धातिंक रूप से स्वीकृति दिये जाने का निर्णय लिया गया।
61–3	स्वामी विवेकानन्द जी की प्रतिमा लगाने का स्थान निर्धारित करने के सम्बन्ध में विभागाध्यक्षों की आयोजित बैठक दिनांक 30.01.2018 का कार्यवाही विवरण विचारार्थ / निर्णयार्थ।	स्वामी विवेकानन्द जी की प्रतिमा लगाने का स्थान निर्धारित करने के सम्बन्ध में विभागाध्यक्षों की आयोजित बैठक दिनांक 30.01.2018 के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

कोठारी 31.3.18 R.K. Kothari 31-3-18

61–4	**योग विज्ञान संकाय के गठन के संबंध में गठित समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण :** विद्यापरिषद् के बिन्दु संख्या 26–1 की अभिशंषा एवं कार्यपरिषद् की 59वीं बैठक के निर्णय संख्या 59–02 की अनुपालना में समिति का कार्यवाही विवरण विचारार्थ / निर्णयार्थ।	प्रस्तुत एजेण्डा के सम्बन्ध में कार्यपरिषद् में विचार विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिये :– 1. योग हेतु स्वीकृत दो पदो के लिये भी राज्य सरकार से वेत्तन भत्ते मद में अनुदान प्राप्त करने एवं इनको Regular Mode में परिरवर्तित करने हेतु पत्र प्रेषित किया जावें। 2. सरकार से उक्तानुसार अनुमति प्राप्त होने पर ही योग विज्ञान संकाय का गठन किया जावें।
61–5	**सामान्य प्रशासन शाखा से जारी यू.ओ.नोट क्रमांक 16061 दिनांक 26.03.2018 :** विश्वविद्यालय का कलैण्डर (सार्वजनिक अवकाश) वर्ष 2018 का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।	विश्वविद्यालय का कलैण्डर (सार्वजनिक अवकाश) वर्ष 2018 के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
61–6	**सामान्य प्रशासन शाखा से प्राप्त यूओ. नोट क्रमांक 14142 दिनांक 02.02.2018:** संविदा आधार पर लेखा सहायक की मासिक दर निर्धारण के संबंध में प्रस्ताव विचारार्थ / निर्णयार्थ।	प्रस्तुत एजेण्डा के संबंध में विचार विमर्श कर आगामी निविदा में अनुबंधित फर्म से संविदा आधार पर उपलब्ध कराये जाने वाले कार्मिक के रूप में लेखा सहायक का मानदेय राशि रूपये 12000 / – प्रतिमाह से बढ़ाकर 15000 / – रूपये प्रतिमाह किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
61–7	**संस्थापन शाखा से जारी यूओ. नोट. क्रमांक 16223 दिनांक 26. 03.2018 :** सुभाष चन्द वर्मा एंव अन्य पॉच कार्मिकों के पेंशन प्रकरण का प्रस्ताव विचारार्थ / निर्णयार्थ।	विश्वविद्यालय में राजस्थान हैण्डलूम डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. व राजस्थान जल विकास निगम से वर्ष 2001 में समायोजित सुभाष चन्द वर्मा एवं अन्य पॉच कार्मिकों के पेंशन प्रकरण संबंधी विचारार्थ / निर्णयार्थ प्रस्तुत प्रस्ताव से संबंधित एजेण्डा पर विचार–विमर्श कर कार्यपरिषद् द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिए गये– (1) उप शासन सचिव,शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.18 (5) शिक्षा–6 / 2001 पार्ट–1 जयपुर दिनांक 16.11.2017 से प्राप्त मार्गदर्शन के क्रम में 59वीं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 01.12. 2017 के बिन्दू संख्या 59–9 के अनुसार ही निम्नांकित छः कर्मचारियों को सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के अन्तर्गत माना जावेः– 1. श्री सर्वेश कुमार शर्मा 2. श्री सुभाष वर्मा 3. श्री भंवर लाल सैन 4. श्री दुलीचन्द वर्मा 5. श्री धनश्याम शर्मा 6. श्री सत्य नारायण शर्मा (2) उक्त छः कार्मिको में से जिन कार्मिकों के सेवा उपादान (ग्रेच्युटी) का अंशदान विश्वविद्यालय में प्राप्त हो चुका है, उन्हें उनके पूर्व नियोक्ता / विभाग में नियुक्ति की दिनांक से ग्रेच्युटी हेतु निर्धारित

31.3.18

R.K. 31-3-18